तारीख

27

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 18 / 2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 227
अनवान

1. सोमाराम पुत्र हंजारीराम।
2. अमराराम पुत्र हंजारीराम जातियान माली निवासीगण सांचौर तहसील सांचौर।

प्रार्थीगण...............

1. सरकार तहसीलदार सांचौर।
2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सांचौर।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

अप्रार्थीगण.........

प्रार्थना–पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती करने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजुः– 17.09.2025

उपस्थितिः–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से नायब तहसीलदार उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 एकपक्षीय।

–:निर्णयः–

दिनांकः– 27.03.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा सांचौर, पटवार हल्का सांचौर के खसरा नम्बर 1388 (0.01 है.) व 1389 (1.31 है.) पुराना खसरा नम्बर 520मी से सृजित हैं। प्रथम सेटलमेंट में खसरा 520मी की रानीवाड़ा रोड से लम्बाई 300 मीटर थी, किन्तु द्वितीय सेटलमेंट में अधिकारियों द्वारा बिना अधिकार गलत तरमीम कर खसरा 1389 की लम्बाई पश्चिम में 332 मीटर व पूर्व में 320 मीटर दर्ज कर दी गई, जो रिकॉर्ड त्रुटि है। साथ ही, उत्तर दिशा की 0.11 हैक्टर नगर पालिका की आबादी भूमि (पुराना खसरा 291 / नवीन 1329) को भी गलत रूप से प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जोड़ दिया गया, जिससे नक्शा व रकबा वास्तविक से अधिक दर्शाया गया है। बाद में विभाजन व सम्परिवर्तन से बने 11 खसरों में भी यही त्रुटि बनी रही, जहां नक्शा ट्रेस का एरिया दर्ज रकबे से लगभग 0.11 हैक्टर अधिक है, जो लिपिकीय भूल है। अतः निवेदन है कि पुराने खसरा नम्बर 520मी व नवीन खसरा 1389 के जमाबन्दी रकबे के

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

अनुसार नक्शा ट्रेस में सुधार कर 0.11 हैक्टर अतिरिक्त भूमि को अलग किया जाए तथा सभी नवसृजित खसरों में सही रकबे अनुसार रिकॉर्ड दुरस्ती का आदेश प्रदान किया जाए।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने प्रार्थीया अधिवक्ता व अप्रार्थी राज पैरोकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीया अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। जिस पर राज पैरोकार द्वारा बहस में कोई आपति नहीं की गई।

4. हमने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों व तहसीलदार सांचौर के जवाब का अवलोकन किया प्रार्थीया के अधिवक्ता व राजपेरोकार के बहस तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया है कि मौजा सांचौर के पुराना खसरा संख्या 520 मी. जमाबंदी में दर्ज रकबे के अनुसार ट्रेस नक्शे के एरिये की दुरूस्ती एवं पुराने खसरा संख्या 520 मी. से नवीन खसरा संख्या 1389 रकबा 1.31 हैक्टेयर के जमाबंदी में दर्ज एरिये के अनुसार नक्शा ट्रेस के एरिये में रेकर्ड दुरूस्ती एवं बंटवाडा में से नवसृजित उपरोक्त खसरो के दर्ज रकबे के अनुसार एरिया नक्शा ट्रेस में रेकर्ड दुरूस्ती का आदेश प्रदान करावें। जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षण एवं हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 05.02.2026 की जांच रिपोर्ट का अध्ययन एवं अवलोकन किया जिसके अनुसार ग्राम सांचौर के द्वितिय बंदोबस्त के समय दर्ज खसरा संख्या 1388, 1389 का मिलान क्षेत्रफल अनुसार पुराना खसरा संख्या 520 मीन था। विभाजन एवं भूमि रूपान्तरण के बाद खसरा संख्या 1388 यथावत है एवं 1389 के खसरा संख्या 3829/1389, 3832/1389, 4155/3828, 416/3828, 4157/3828, 4158/3828, 4162/3830, 4163/3830, 3833/1389, 3831/1389 व 1389 बेन है ग्राम सांचौर के पुराने खसरा संख्या 520 मीन की आकृति के खसरे की लम्बाई व द्वितीय भू–बंदोबस्त के खसरा संख्या 1389 की आकृति में भिनता है क्योकि पुराना खसरा संख्या 520 की उतरी माठ के पास खसरा संख्या 291 की राजकीय भूमि होने से खसरा संख्या 520 के खातेदारान् द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर उतरी माठ को आगे खिसका दिया गया तथा द्वितीय बंदोबस्त करते समय राजकीय भूमि के साथ शामिल कर बढी हुई माठ का नक्शा खसरा 1389 बना दिया जो मौके के अनुसार है व खसरा संख्या 1389 वर्तमान नक्शा व मौके का क्षेत्रफल 1.41 हैक्टेयर जबकि जमाबंदी में रकबा 1.30 हैक्टेयर है लाल स्हायी में बताये अनुसार रकबा 0.11 हैक्टेयर मौके पर ज्यादा है जो वर्तमान खसरा संख्या 1389 में दर्ज रकबा 4.87 हैक्टेयर में से कम कर 4.76 हैक्टेयर व 0.11 हैक्टेयर का नवीन खसरा बनाकर नगरपालिका सांचौर आबादी के खाते में गैर मुमकीन दर्ज किया जाना

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

प्रस्तावित है तथा प्रार्थी के खसरा संख्या 1389 की पूर्वी एवं पश्चिमी माठ की लम्बाई 291 व 300 मीटर पुराने नक्शें अनुसार होनी चाहिए थी जबकि वर्तमान नकशा अनुसार मूल खसरा संख्या 1389 की पूर्वी माठ 320 मीटर व पश्चिमी माठ 332 मीटर बनती है एवं रकबा 0.11 हैक्टेयर अधिक बनता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के खसरा संख्या 1389 से नवसृजित खसरा संख्या 3829 / 1389, 3832 / 1389, 1389, 4155 / 3828, 4156 / 3828, 4157 / 3828, 4158 / 3828, 4162 / 3830, 4163 / 3830, 3833 / 1389, 3831 / 1389 की आकृति आनुपातिक रूप से कम करते हुए नक्शें में लाल स्याही से बताये स्थान की भूमि 0.11 हैक्टेयर खसरा संख्या 1329 रकबा 4.87 हैक्टेयर से 4.76 हैक्टेयर व 0.11 हैक्टेयर नगरपालिका सांचौर के खाते में गैर मुमकीन दर्ज कर शुद्धि किया जाना उचित है बाबत् पेश की तथा उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार सांचौर ने अपने क्रमांक / भू. अ. / न्याय.जां. / 2026 / 495 दिनांक 05.02.2026 को जवाब पेश कर बताया कि जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त वर्णित भूमि का प्रथम सेटलमेंट व द्वितीय सेटलमेंट के राजस्व रेकर्ड रकबा एवं नक्शा लट्ठा मे बिच किसी विधिक प्रक्रिया के अंतर हुआ है इस प्रकार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र राजस्व ऐजेन्सी द्वारा जांच रिपोर्ट एवं राजस्व रेकर्ड से वादग्रस्त आराजी का प्रथम सेटलमेंट व द्वितीय सेटलमेट में राजस्व रेकर्ड रकबा एवं नक्शा लट्ठा में बिना किसी विधिक प्रक्रिया में अन्तर होना प्रमाणित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उक्तानुसार स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि मौजा सांचौर की राजस्व एजेन्सी द्वारा दिनांक 05.02.2026 को पेश जांच रिपोर्ट अनुसार खेत खसरा संख्या 1389 से नवसृजित खसरा संख्या 3829 / 1389, 3832 / 1389, 1389, 4155 / 3828, 4156 / 3828, 4157 / 3828, 4158 / 3828, 4162 / 3830, 4163 / 3830, 3833 / 1389, 3831 / 1389 की आकृति आनुपातिक रूप से कम करते हुए नक्शे में लाल स्याही से बताये स्थान की भूमि रकबा 0.11 हैकटेयर, खसरा संख्या 1329 रकबा 4.87 हैक्टेयर में से कम कर रकबा 4.76 हैक्टेयर करने रकबा 0.11 हैक्टेयर नगरपालिका सांचौर के खाते में गैर मुमकीन बाबत् शुद्धि कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। पक्षकारात् अपना–अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी मुताबिक फेसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक **27.03.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर